Sch. XIV—F. No. 180V.

बि० ग० प्रेस, गया।

फरद मालकी/फरद रैयती।

रसीद मालगुजारी। नाम सर्कल। नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर। नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सकूनत। नम्बर।

थानापुर	सादिकपुर	19	श्रीमती सरोजनी देवी	176	230	1619

अराजी नगदी | अराजी भावली | तफसील हिसाब लगान भावली।

0.16 डि०	श्रीमती सुनीला देवी

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

2011-12 मांग बाबत	सालाना	बकाया तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	हाल
मालगुजारी (नगदी)	4.00				16.00	4.00
मालगुजारी (भावली)	1.00				4.00	1.00
सेस ...	2.00				8.00	2.00
*सूद ...	2.00				8.00	2.00
मुतफरकात ...	0.80				3.20	0.80
मीजान	9.80				39.20	9.80

WITHOUT PREJUDICE

अदायकारी।

2011-12 अदायकारी बाबत।	बकाया तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	मोतावला हाल।	फाजिल
मालगुजारी (नकदी)				16.00	4.00	
मालगुजारी (भावली)				4.00	1.00	
सेस ..				8.00	2.00	
*सूद ..				8.00	2.00	
मुतफरकात ..				3.20	0.80	
मीजान अदायकारी				39.20	9.80	49.00

(१) मीजान कुल (लफ्जों में) – उन्चास रुपया मात्र

(२) नाम देहिन्दा

(३) कुल बकाया

दस्तखत बो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा।

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

14/03/12

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

बि0स0मु0, पटना।

फरद मालगुजारी / फरद रैयती।

नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी 1118 X 87 8216 67 खाता 77 प्लौट 219

वो सकुनत। नम्बर।

इलाका मालगुजारी नाम सर्कल। नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर

V

कटनापुर | बाटिकपुर श्रीमती सुनीला देवी पति श्री अशरफी प्रसाद गोयल

अरजी नगदी 19 अरजी मोवली तहसील हिसाब तौजी नं.

51 एकड़ा | श्रीमती सरिता देवी पति श्री सुबोध कुमार

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का

2012-13 मांग बाबत	सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	हाल
मल— (नकदी)	1.00				1.00	1.00
जारी (भावली)	0.25				0.25	0.25
सैस ...	0.50				0.50	0.50
सूद ...	0.50				0.50	0.50
मुतफरकात ...	0.20				0.20	0.20
मीजान	2.45				2.45	2.45

तफसील अदायकारी।

2012-13 अदायकारी बाबत	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।			1ला वर्ष।	मोतालबा हाल	फाजिल
मल (नकदी)				1.00	1.00	
जारी (भावली)				0.25	0.25	
सैस ...				0.50	0.50	
सूद ...				0.50	0.50	
मुतफरकात ...				0.20	0.20	
मीजान अदायकारी				2.45	2.45	-

WITHOUT PREJUDICE

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — चार रुपया; नब्बे पैसा मात्र

(2) नाम देहिन्दा — [illegible]

(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

* इस महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

बि.स.मु.(राजस्व) 1–2011

दाखिला केशन 5813/12-13

06/03/13

490



सूची–14 फारम सं0 502

आदेश–पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता0.....तक
जिलासन् 200 – 200
केस का प्रकार दा0 खा0 वाद सं0 411 सन् 10-11

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित
12/7/10	श्री मती सीता देवी पति सुधीर कुमार पिता/पति अमिया सुभीता देवी पति- स्वर्गीय प्रसाद मंडल ग्राम0 खरीक थाना खरीक जिला छपरा ने निम्नलिखित जमीन का नामांकन हेतु आवेदन पत्र दिया है। जिसे वसीका सं0 1857 दिनांक 14.7.10 द्वारा इन्होने श्री सीता राम लाल पति- स्व. शिव मुलाम लाल वल्द श्री अमीचन्द्रमणी देवी पति- सीता राम लाल पो- श्रीनारायण दुबे ग्राम0 दोमी बरवनपुरा थाना छपरा जिला छपरा पिता- सीताराम लाल से क्रय किया है। जगीन का विवरण मौजा थाना सं0 तौजी सं0 खाता सं0 खेसरा सं0 रकबा सादिमपुर 19 76 — 22/— .16	
CRO 2658 26/7/10		
CRO 2250 27/8/10		
	हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक..... 26/7/10को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी	
26/7/10	रा0 क0 एवं अंचल निरीक्षक से आवेदित जगीन के सम्बंध मे स्थानीय तौर पर और राजस्व अभिलेखों से जाँच कराई गई। उन्होनें प्रतिवेदित किया है कि जगीन – (1) रैयती है। (2) आवेदक के पूर्ण दखल में है। (3) जमाबन्दीके नाम से कायम है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित
	(4) यह जमीन गैरमजरूआ आम एवं खास नही है। यह जमीन भूहदबन्दी के अर्न्तगत नही है। मूल जमाबन्दी रैयत /आम नोटिश निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 30/3/10 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी	
31/3/10	मूल जमाबन्दी रैयत को निर्गत नोटिष /आम ईष्तेहार का तामिला प्राप्त है। मामिला प्रतिवेदन देखा। कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि केता के दखल कब्जा में है। अतः सूचना/रा0 कर्म0 एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व संग्रहण के हित में बंटवारा/ उतराधिकारी /दान पत्र /विकय –पत्र दाखिल खारीज करने की अनुशंसा सहित पत्रावली सादर प्रेषित की जाती है। शुद्धी पत्र निर्गत करें। लेखापति एवं संषोधित दानापुर अंचल अधिकारी	

Certified to be true Copy

Authorised under Sec. 76 of the Act

तुलजा खर्वा

दाखिल खारिज–प्रतिवेदन

413/8 गु० केश नम्बर – साल – 2011 हल्का नम्बर – 8 अंचल–दानापुर
ग्राम – ~~दानापुर~~ खादिरपुर राजस्व थाना नम्बर – 18 जिला–पटना
गु० मे जमीन रकबा – प्राप्त का जरिया –
जरशमन – केबाला – 18571 तिथि – 14.7.10

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 101/230
हीरा राम खाप पिता श्री मिश्र गुलाम खाप	76	221	0.08	2.00	ओ० अं० दानापुर
श्रीमती चन्द्रमानी देवी पति : पवना राम खाप ला · उत्री रुकनपुरा	76	221	0.08	2.00	अंचलाधिकारी के आदेशानुसार का ओप पत्रा / पालेखा एवं पंजी II से मिलान पश्चात् पंजी II में विक्रेता का नाम दर्ज है/ जमाबंदी के नाम खारिज करने से है/ अतीत रैयती है/ और आय, मालिक एवं खास नहीं है/ अदालत कुर्कअमीनी से मुक्त है/ अतः सूचनोपरांत अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो तो दाखिल खारिज की कार्रवाई की जाय
			0.16	4.00	
बचा हुआ रकबा					

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान
श्रीमती सीता देवी पति - श्री सुबोध कुमार ला - पीली कोठी पुनाईचक थाना - आलमी नगर जिला = पटना	76	221	0.16	4.00
श्रीमती सुशीला देवी पति - श्री असफी प्रसाद मेडल ला - खटीका थाना - लोनपुर छपरा				

NO Objection 26/11

Certified to be true Copy

Sch. XIV—F. No. 180V. बिo गo प्रेस, गया।

जमींदार मालगुजारी। फरद मालकी/फरद रैयती। 1119

नाम तअल्लुक। नाम मौजा मय नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी
थाना थो थाना नम्बर। की सकुनत। नम्बर।

दानापुर/साकिनपुर की दिनेश कुमार सिंह 1972 759752

बराजी नगदी बराजी मालगुजारी नीट कुल तअल्लुक हिसाब जमाबन्दी।

51.2 पिता-श्री सुरेन्द्र देव सिंह ग्राम

खेत का खासरा नंबर मय तफसील (बकाया भो हाल) मौजूदा साल का।

जमीन बाबत	खासरा	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	
माल- (नगदी)	1.00				1.00	1.00
जारी (मालकी)	0.25				2.50	0.25
खेत ...	0.50				5.00	0.50
शुद्ध ...	0.50				5.00	0.50
मुतफरिकात ...	0.50				1.00	0.50
मीजान	2.75				24.50	2.75

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत।	बकाया				मोतावल हाल।	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।		
माल- (नगदी)				12.00	1.00	
जारी (मालकी)				2.50	0.25	
खेत ...				5.00	0.50	
शुद्ध ...				5.00	0.50	
मुतफरिकात ...				2.00	0.00	
मीजान अदायकारी				24.50	2.75	

20/11.

(१) मीजान कुल (रुपया में) — चौबीस रुपया पचास पैसा मात्र
(२) माय देहिन्दा —
(३) कुल बकाया — 24.50 कानूनगो की तारीख अमला तहसील कानूनगो

*खाद महाल का बकाया मालगुजारी पर (किसान ऐसे बकाया पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) दर्ज नहीं किया जाता है।

WITHOUT PREJUDICE

26.95

Sch. XIV—F. No. 180V. वि० प० प्रेस, पटना।

रसीद मालगुजारी। फरद मालकी/फरद रैयती।

ग्राम सर्कल। नाम मौजा मय V नाम रैयत मय बल्दियत जमाबन्दी ।।।8

थाना वो थाना नम्बर। वो सकुनत। नम्बर।

जमाबन्दी स्थाई/अस्थाई श्रीमती उमाला देवी पति 759751 खाता 79 खौर 219

मराजी मंगवी अदाजी आवली तफसील हिसाब जमाबन्दी।

51	श्री सुरेश राय

तालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

20/11 खींग बाबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	
मालगुजारी (नगदी)	1.00				0.10	1.00
मालगुजारी (आबवाब)	0.25				2.50	0.25
सेस ...	0.50				5.00	0.50
*सूद ...	0.50				5.00	0.50
मुतफरकात ...	0.20				2.00	0.20
मीजान	2.45				24.50	2.45

तफसील अदायकारी।

20/11. अदायकारी बाबत।	बकाया				मोताबल हाल।	बाकिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।		
मालगुजारी (नगदी)				1.00	1.00	26.95.
मालगुजारी (आबवाब)				2.50	0.25	
सेस ...				5.00	0.50	
*सूद ...				5.00	0.50	
मुतफरकात ...				2.00	0.20	
मीजान अदायकारी				24.50	2.45	

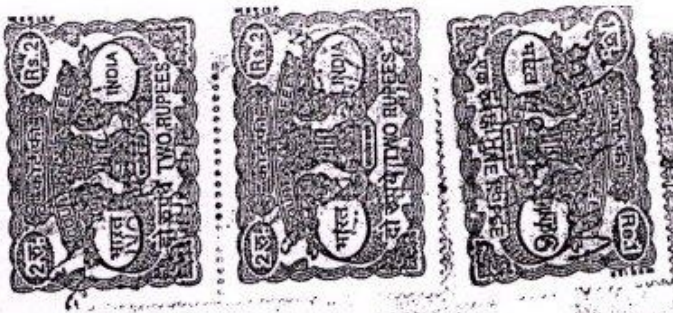
(१) मीजान कुल (रुपये में) — छब्बीस रुपया पचानवे पैसा मात्र

(२) नाद देहात्का 1.50

(३) कुल बकाया — वसूलयाब वो तारीख जमाबन्दी तहरीर करेंगे।

*खाद महाल का बकाया मालगुजारी पर (जिसके ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी है) सूद नहीं लिया जाता है।

WITHOUT PREJUDICE



अनुसुची–14 फारम सं0 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता0 _____ तक _____

जिला _____ सन् 200 – 200

केस का प्रकार दा0 खा0 वाद सं0 668/8 सन् 2010–11

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित
22-11-10	श्री श्रीमती उर्मिला देवी पत्नि- स्व0 सुरेन्द्र राय पिता/पति स्व0 दिनेश कुमार सिंह एवं विनोद कुमार सिंह पिता- सुरेन्द्र देव सिंह पाकर ग्राम0 वीरपुर थाना चुरामन जिला पश्चिमी ने निम्नलिखित जमीन का नामंकन हेतु आवेदन पत्र दिया है। जिसे वसीका सं0 24638 दिनांक 24/7/98 द्वारा इन्होने श्री स्व0 अवधेश पांडेय पुत्र ---- वल्द श्री मौजी कपलेश्वर पण्डा ग्राम0 ---- था ---- जिला पश्चिमी से क्रय किया है।	

C.C.No 3151 9/11/11

जमीन का विवरण

मौजा	थाना सं0	तौजी सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा
रसलपुर	9			29-29-51	
				29-29-51	

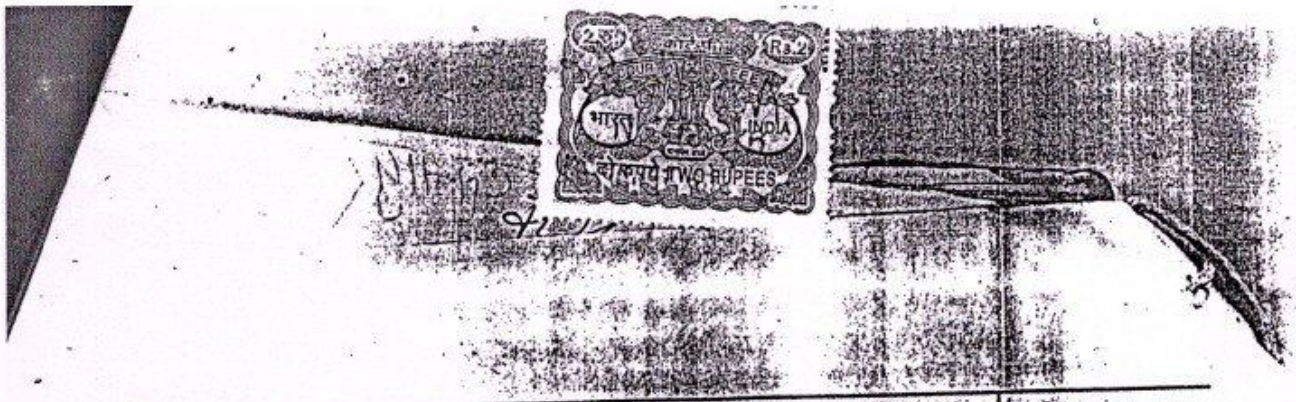
540/2883/14-12-10

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 22-11-10 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी

रा0 कर्म0 एवं अंचल निरीक्षक से आवेदित जमीन के सम्बंध मे स्थानीय तौर पर और राजस्व अभिलेखों से जॉच कराई गई। उन्होनें प्रतिवेदित किया है कि जमीन –

(1) रैयती है।
(2) आवेदक के पूर्ण दखल में है।
(3) जमाबन्दी _____ के नाम से कायम है।



आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित
	(4) यह जमीन गरमजरूआ आम एवं खास नही है। यह जमीन भूदबन्दी के अर्न्तगत नही है। मूल जमाबन्दी रैयत /आम नोटिश निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 11-12-10 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी	
11-12-10	मूल जामाबन्दी रैयत को निर्गत नोटिष /आम ईष्तेहार का तामिला प्राप्त है। मामिला प्रतिवेदन देखा। कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि केता के दखल कब्जा में है। अतः सूचना/रा0 कर्म0 एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व संग्रहण के हित में बंदवाश/ उतराधिकारी /दान पत्र /विक्रय –पत्र दाखिल खारीज करने की दी जाती है। शुद्धी पत्र निर्गत करें। लेखापति एवं संधोधित दानापुर अंचल अधिकारी certified to be true Copy Date of Copy Date on which copy was ready for delivery Date of delivery	तुलना कर्ता



अंचल - दानापुर
जिला - पटना

जमा नम्बर- 669 साल - 2011-11 डाक्का नम्बर 8
मौजा - ~~बकौरा~~ खादिपुर राजस्व थाना नम्बर - 19
में जमीन रकबा - प्राप्त का जरिया - क्रय
अन्तर्गत - केवाल - ~~क~~ 2618 तिथि - 24/3/98

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 478
भगवान दास पाठक पा- स्व हीरा पाठक सीताकुर की विधवा पत्नी	२१९	८३१९	०.४६	४.४५	देहात कनाकुर आवेदक द्वारा दे कागजात का जाँच किया/पाया हदबन्दी में है निर्माण किया जमीन पिछेता का नाम दर्ज है जमीन कैसा के कब्जा में है/जमीन दैयमी है/है आम, खालिस एवं खास नदी है/ मुकदमा- हुकदारी संयुक्त है अतः प्रस्तावित किसी अड़चन आपत्ति मतलब को दाखिल खारीज की कीजाने हो सकती है
बचा हुआ रकबा					

C.C.No 3151 9/11/11

C.O 1883 14-12-11

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान
श्रीमती उर्मिला देवी पति- स्व धुरंधर राय	२१	८१९	५१	१००
स्व दिनेश कुमार सिंह दो विनोद कुमार सिंह पिता- सुरेश देव सिंह पाठक सा वीर पुर थाना- दुलहपुरी जैमाली	२१	८१९	५१.१	१००

Certified to be True Copy

पुलना कर.

पटना दानापुर पटना सदर दीघा पटना
2009 29339 24688 61 395 499/376



बिहार BIHAR क्रम संख्या 16762 दिनांक 16-12-09 मूल्य ...40

03AA 366146

क्रेता का नाम एवं पता ...

कामेश्वर प्र० सिंह, सुदांक विक्रेता
अ० ई०-6/79, निबन्धन कार्यालय, पटना

11-1-10

11.1.10

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BIHAR

क्रम संख्या 16968 तिथि 16-12-07 मूल्य 40 03AA 366147

क्रेता का नाम एवं पता ... शीट संख्या 2

कामेश्वर प्र० सिंह, मुद्रांक विक्रेता
अ० अ०-6/79, सिचन्धन कार्यालय, पटना

28873 24688 5000Rs 76

INDIA NON JUDICIAL

₹5000 Rs. R₹ 5000

पाच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

बिहार भूमि हदबंदी अधिनियम 1976
की धारा 26 के अधीन सूचना जारी
प्राधिकारी को दी गई दिनांक

आदेश सं. 1015 अतिरिक्त
1982 की धारा 26 के अधीन
अवार्ड के धारा 38 (1) के
अधीन कार्यालय को तबादिल।

निर्णय प्राधिकारी

34/7/98

II के II

1) नामपोकार:- ~~कुवर बाबाद गोदवा प्रा० शि० गोवां कम्पलेक्स~~

~~स०-19 निर्णय ला पटना- 1 धारा प्रवंम निदेशक~~

रामवी सिंह वल्द श्री ब्रजेश राउत, साकिन

नेहरूनगर थाना पाटलीपुत्र जिला पटना। ये हमा

वहसियत मोख्तारआम मिनबादि श्री भगवान दास

पाठक वल्द श्री हरि बाबू पाठक, साकिन मल्लाह-

Certified to be true copy

11-1-16

5000Rs.



(2)

रमेश भवन मीठापुर बी०रिया पटना-1 हाल पता बी०119

पिपुल्स कॉ-आपरेटिव कोलोनी कंकड़बाग, पटना- 20 वो भी

हाल पता दर्पेश्वर कोलोनी सादिकपुरम थाना- दानापुर

जिला- पटना जिसका पावर नम्बर 222 दिनांक 29-11-

1997 ई० सब रजिस्ट्री दानापुर का है। वो भी पावर नम्बर
5102 बुक नं० 353 दि०22-7-98 ,पटना

2)नामसोकिरक्लेनु:- श्रीमती वर्मिला देवी पति श्री सुबेदार राय, वो
श्री दिनेश कुमार सिंह वो विनोद कुमार सिंह व०बुरजदेव-
सिंहयादव , साकिन ग्राम वो पो०- बीरपुर, थाना- बुरावनपुर,

जिला- वैशाली पेशा- गृहिणी, भारतीय नागरिक।

3)किसीम वसिका:- केवाला वरुआ कलामी (निर्विवाद विक्रय पत्र)

4) तायदाद वरसमन:- मो० 59000) रुपये(उनसठ हजार रुपये)मात्र
सरकार द्वारा निर्धारित मुल्य लो० 1,78,000-00 रुपये

5) तफसील वरारी :- मवाजी (2 कट्ठा(दो कट्ठा) धुर(अठ धुर)वारी
श्यामोवश्या

कृषि भूमि वसिंचित क्षेत्र एक फसला और है

हलीया कास्त रैयती नकदी कायमी वाके मौजा-

For Aburva Awas Vellana Pvt. Ltd.
Director

1000Rs.

78



(3)

सादिकपुर परगना फुलवारी थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर उपर रजिस्ट्री वो जिला पटना । बन्दर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार पटना के हैं लगान सालाना मो० 50 पैसे अलावे शेष बजमिन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर, थाना नं० 19(उनीस), तौजी नम्बर-5291(पांच हजार दो सौ इक्यानवे) खाता नं० 79(उनासी) वो सर्वे खसरा नम्बर 219(दो सौ उन्नीस) वो चौहद्दी निम्नलिखित है वो उपर्युक्त अराजी को बिक्री करने हेतु प्रमिशन बजरीय नोटिश नम्बर-4567सन् 1997 दिनांक 6-9- 1997 ई० के मन्मोकिर को उपसमाहर्त्ता प्रभारी शहरी मूल्यवन्दी पटना से हासील हुआ है ।

मवाजी 1 कट्ठा (एक कट्ठा)

उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
नीज	नीज	रास्ता	रामा राय

मवाजी 1 कट्ठा 2 धुर

उत्तर	दक्षिन	पुरब	पश्चिम
रास्ता	क्रेता नं० 1	रास्ता	रामा राय

For Apurva Awas Yojana Pvt. Ltd.
Managing Director

1000Rs



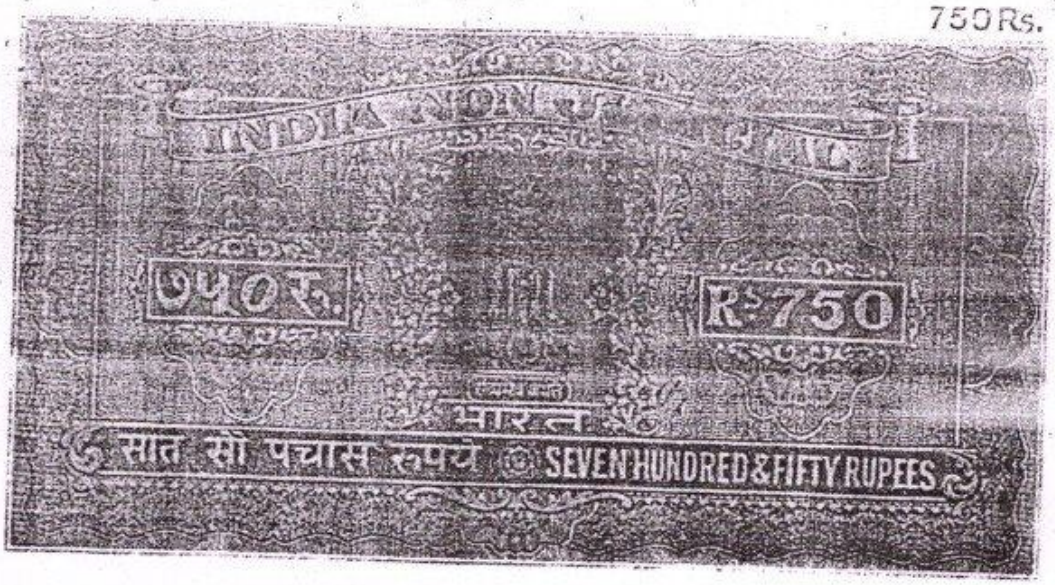
(4)

मजमून

बंनावा के उपर्युक्त अराबी अंकित खाना नं० 5 वसिका हाजा खास हकियत मनमोकिर की है जिस पर मनमोकिर वेठा सिरकत किसी दूसरों के कब्जा दखिल, मालिक मुस्तकिल चले आते हैं और हैं के जो हर तरह के वारदैन वो नुक्स हकीयत वगैरह से बिल्कुल पाक वो साफ है। तत्काल मनमोकिर को जरूरत रूपयों का वास्ते चन्द सर्व जरूरी जायज वो मरम्मत मकान के अतिआवश्यक है और बिना बिक्री किये अराबी मुतसरहे वाला के सामान होना रूपयों का गैर मुमकिन है। लेहाजा मनमोकिर बहालत सेहत जात वो सबात अक्ल वदुरूस्ती होश वो हवास वो बेला देने जब्र वो दवाव नाजायज किसी दूसरों के वो अपने हर तरह के नफा वो नुकशान हाल वो आइन्दा को बखूबी समझ वो बुझकर वो मश्वरा वाजादाना लेकर अराजी मुन्दर्जे खाना नं० 5 वसिका हाजा को बवदल कीमत बदल मो० 59000 (उनसठ हजार रूपया) बदस्त मोकिरलेहा मुन्दर्जे वसिका खाना नं० 2 के मेला शर्त फिरूख वो स्यार है बेचा वो केवाला बयना बलाफी

For Aburva Awas Yojana Pvt. Ltd.
Managing Director

750Rs.



(5)

वो कुल बरसमन मो० 59000) उनसठ हजार रुपया मात्र मनमोहिर ने मोकिरक्ले से कबल तहरीर वो तामील वसिका हाजा के वसूल पा चुके है वो उपर बराबी श्यमोवश्या हाजा के मनमोकिर ने मोकिरक्लेह को बवाय अपने कावीज दखिल मालिक मुस्तकिल के गरदान दिया वो बाज के तारीख से कब्जा दखल दे दिया । चालिए के मोकिरक्लेह खरीदार मौसुफ ह श्यमोवश्या हाजा पर कावीज दखिल मालिक मुस्तकिल होकर वो रुकर हि जिस सुरत से चाहें अपने उपयोग वो उपभोग में दर लावें वो मोकिरक्लेहा नाम अपना वरखराब नाम मनमोकिर वाबिरिस्ते जमिन्दारी मुन्दर्ज लीज सरकारी वनिस्वत बराबी श्यमोवश्या हाजा के दर्ज करा लेवेंगे । वो वो कुछ हक व हकूक बराबी श्यमोवश्या हाजा में मनमोकिर को हासील है या बाइन्दा हासील होता वह सब कुल हक व हकूक बमीजहु को केला तफरका बाज के तारीख से मोकिरक्लेहा को हासील हुवा वो भविष्य में हासील होता रहेगा। वो मनमोकिर ने खरीदार

For Jaypee Agra Vidyut Pvt. Ltd.
Managing Director

50 Rs.



को विश्वास दिलाया है के बाकी शयमोवश्या हाजा हर तरह से पाक व साफ है ।काश बाद तहरीर वो तामील वसिका हाजा किसी किसीम की सरखा जहुर में आवे जिसके वजह कर मोकिरकलेहा खरीदारा मौसुफा बाकी शयमोवश्या हाजा वंश या कुल से वेदखल होजावे या कोई दैन वारदैन मोकिरकलेहा को बादाय करना पड़े तो वेसे सुरत में उसकी पूरी पावन्दी वो वार मुस्तखल ताल्लुक दीगर जायदाद मनकुला वोगैर मनकुला नामों वो वेनामी मनमोकिर के है वो मवक्किल मनमोकिर के है वो रहेगा ।

For Reliance Power Yojana Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

10 Rs.



(7)

इस वास्ते यह वसिका केवाला वक्ता कलामी

(निर्विवाद विक्रय पत्र) बनाम वो वल्क मोकिलटेल के नाम से गवाहान

के समक्ष लिख दिया की समय पर काम आवे और प्रमाण रहे। इति।

For Adi... Vinima Pvt Ltd
Managing Director

टंक:-
(शिवमुनि लाल)
समाहरणालय, पटना

Dharmendra
Advocate
C.B.P. Patna
24/7/98

11-7-98

Serial No. - 32251 Book No.- 1 / Deed No. - 2645



बिहार BIHAR 697167

2263 तिथि 4/11/2011 मूल्य 5000 रु. में

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on this Tuesday, 8th of November, 2011 by Urmila

A stamp duty of Rs. 80100/- and other fees of Rs. 21129/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 2645 in Book No. 1 , Volume No. 457 on pages from 184 to 192 and has been preserved in total 9 pages in C.D. No. 70 / Year 2011.

SCANNED

Date : 08/11/2011 Token No. : 32817 / 2011

Signature with date
(Ashok Kumar Thakur)
Registering Officer, Patna

ओम

1) लेख्यकारिणी (विक्रेता) का नाम एवं पुरा पता :-

श्रीमती उर्मिला देवी पति श्री सुबेदार राय, निवासी ग्राम वो पोस्ट- वीरपुर, थाना - जुरावनपुर, जिला - वैशाली (बिहार), भारतीय नागरिक है।

2) लेख्यधारीगण (क्रेतागण) का नाम एवं पुरा पता :–

1. श्रीमती सुनीला देवी पति श्री अशरफी प्रसाद मण्डल, निवासी ग्राम– खरिका, पोस्ट वो थाना– सोनपुर, जिला– सारण,

2. श्रीमती सरिता देवी पति श्री सुबोध कुमार, निवासी – ए/402, देवा अपार्टमेन्ट, शेखपुरा, थाना – शास्त्रीनगर, जिला – पटना (बिहार), भारतीय नागरिक है।

3) लेख्य प्रकार :–

निर्विवाद विक्रय – पत्र (केवाला वैयला कलामी)

4) लेख्य मूल्य :–

मो0 9,14,000/– (नौ लाख चौदह हजार रूपये) मात्र खरीदारी मूल्य वो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य मो0 10,00,000/– (दस लाख रूपये) मात्र।

5) विक्रय सम्पति का पूर्ण विवरण :–

हमगी वो तमामी मवाजी 1 कट्ठा (एक कट्ठा) यानि 3.125 डिसमिल एराजी परती आवासीय भूमि वाके मौजा – सादिकपुर मंगलम कॉलोनी, परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर निबंधन कार्यालय एवं जिला पटना जिसका थाना सं0 – 19 (उन्नीस), तौजी सं0 – 5291 (पॉच हजार दो सौ एकानवे), खाता सं0 – 79 (उनासी) एवं सर्वे प्लौट सं0 – 219 (दो सौ उन्नीस) का अंश, थाना कोड–064 है। वार्षिक लगान मो0 50 पैसा अलावे शेष बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी अंचल कार्यालय दानापुर जिला पटना को अदाय है। जमाबन्दी रैयत सं0 – 1118 है। यह सम्पति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्र (विघटित) एवं पटना नगर निगम के बाहर है। चौहद्दी निम्नलिखित दर्ज है:–

सही अनीला देवी पत्नी: अशरफी प्रसाद मण्डल 08.11.2011

चौहद्दी (Boundary)

उत्तर – दिनेश कुमार एवं बिनोद कुमार

दक्षिण – पार्ट प्लौट नं0–219

पूरब – पार्ट प्लौट नं0–220 एवं 221

पश्चिम – पार्ट प्लौट नं0–218

लेख्य सन्दर्भ (Recital)

हकियत यह है, कि इस वसीका के उपरोक्त खाने सं0 5 के सर्वे प्लौट नं0–219 एराजी 2 कट्ठा 2 धुर जमीन को सम्पति को श्रीमती उर्मिला देवी पति श्री सुबेदार राय (लेख्यकारिणी) वो श्री दिनेश कुमार सिंह वो श्री विनोद कुमार सिंह वल्दान सुरजदेव सिंह यादव, साकिनान ग्राम वो पोस्ट– वीरपुर, थाना– जुरावनपुर, जिला वैशाली ने इजमालन खरीद किया है जिसका रजिस्ट्री दिनांक 24.07.1998 ई0 नविस्ते अपूर्व आवास योजना प्रा0 लि0, द्वारा प्रबंध निदेशक श्री रामजी सिंह पिता श्री ब्रहमदेव राउत, निवासी – नेहरू नगर, थाना– पाटलिपुत्रा, जिला पटना वहैसियत मोख्तारआम मिनजानिब श्री भगवान दास पाठक वल्द श्री हरिबाबु पाठक, साकिन रमेश भवन मीठापुर बी0 एरिया, पटना–1, हाल पता– बी0–119, पिपुल्स को–आपरेटिव कॉलोनी ~~कंकड़बाग पटना–20~~ वो भी हाल पता तपेश्वर कॉलोनी, सादिकपुर, थाना दानापुर जिला पटना जिसका पावर नं0–222, दिनांक 29.11.1997 निबंधन कार्यालय दानापुर एवं पावर नं0–5107 दिनांक 22.07.1998 निबंधन कार्यालय पटना से खरीद किये है जिसका बुक नं0 1, जिल्द नं0– 395, पेज नं0– 497 से 516, सीडी–61, वसीका नं0—24688 निबंधन कार्यालय पटना सदर से खरीद कर लेख्यकारिणी आजतक काविज दखिल मालिक मुस्तकिल रहते चले आये। बादहु उर्मिला देवी (लेख्यकारिणी) वो श्री दिनेश कुमार सिंह वो श्री विनोद कुमार सिंह आपसी खानगी बंटवारा द्वारा बंट गये जिसमें खाने सं0 5 की सम्पति लेख्यकारिणी को खास हिस्से में दाज में प्राप्त वो हासिल हुआ जिसपर लेख्यकारिणी काविज दखिल मालिक मुस्तकिल हुए ववो रहते चले आते है वो है वो नाम

पटना

उर्मिला देवी पति श्री सुबेदार राय
08.11.2011

लेख्यकारिणी का वसरिस्ते जमींदारी बिहार सरकार जमाबन्दी नं0– 1118 पर दर्ज है।

यह कि लेख्यकारिणी को खरीदने दीगर फायदेमन्द जायदाद एवं अन्य चन्द जरूरीयातों की पूर्ति के लिए रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है, बिना खाने सं0 5 की सम्पति को विक्रय किये रूपयों का इन्तजाम होना मुश्किल वो नामुमकिन है। इसलिए लेख्यकारिणी ने खाने सं0 5 की सम्पति को विक्रय करने के लिए लेख्यधारीगण के साथ–साथ अन्य से प्रचार एवं प्रचार किये एवं करवाये। अन्त में लेख्यधारीगण खाने सं0 2 ने खाने सं0 5 की सम्पति को मो0 9,14,000/– (नौ लाख चौदह हजार रूपये) मात्र में खरीदने के लिए तैयार हुए। समयानुसार उचित मूल्य पाकर एवं इससे ज्यादा कीमत नहीं मिलने की परिस्थिति में लेख्यकारिणी ने लेख्यधारीगण के साथ खाने सं0 5 की सम्पति को मो0 9,14,000/– (नौ लाख चौदह हजार रूपये) मात्र में विक्रय करने के लिए बातचीत पक्की कर दिये।

अतएव लेख्यकारिणी वहैसियत खाने सं0 5 की सम्पति के स्वामिणी वो अधिकारिणी बनकर एवं अपने–अपने तन–मन, सम्पूर्ण ज्ञान इन्द्रियों की स्वस्थतावस्था, शुद्वतावस्था एवं स्वच्छतावस्था में रहकर अपने हितैषियों, परिवारजनों कानूनी सलाहकारों से उचित परामर्श लेकर एवं विचार विमर्श कर अपने परिवारजनों के भविष्य एवं नफा नुकसान को बखुबी समझ बुझकर बिना किसी अन्य बाहरी अनुचित दवाब, प्रभाव, वहकाव, धमकाव एवं अड़चनों के लेख्यकारिणी (विक्रेता) खाने सं0 1 ने खाने सं0 5 की सम्पति को मो0 9,14,000/– (नौ लाख चौदह हजार रूपये) मात्र में लेख्यधारीगण (क्रेतागण) खाने सं0 2 के पक्ष में विक्रय किये वो केवाला वैयला कलामी किये वो विक्रय पत्र का कुल कीमत लेख्यधारीगण से वसुल पाकर इस विक्रय पत्र का एकरार स्वीकार किये। इस प्रकार विक्रय सम्पति का कुल मूल्य वसुल वो बेवाक हो गया।

सही / उर्मिला देवी पत्नी: [illegible] 08.11.2011

157

अब जितना भी आगम निगम हक वो अधिकार एवं स्वामित्व लेख्यकारिणी पक्ष को खाने सं0 5 की सम्पति पर प्राप्त था या है या भविष्य में होता वह कुल हक वो अधिकार समान रूपेण मूल्य का कुल रूपया चूकती होकर आज की तिथि से लेख्यधारीगण पक्ष को प्राप्त हुआ एवं भविष्य में होता रहेगा। अब लेख्यधारीगण वहैसियत क्रय खाने सं0 5 की सम्पति के स्वामी वो अधिकरी बनकर उक्त खाने सं0 5 की क्रय सम्पति पर निर्माण करे एवं अपने इच्छानुसार व्यवहार में लाकर स्वतंत्र आचरण किया करेंगे एवं जो चाहे सो करेंगे एवं अपना नाम इस विक्रय पत्र के द्वारा सरकारी मकहमे वो सिरिस्ते में नामांकित करा लेवेंगे।

लेख्यकारिणी पक्ष ने लेख्यधारीगण पक्ष को यह विश्वास दिलाये एवं यकीन कराये है, कि खाने सं0 5 की सम्पति हर प्रकार के सम्पति संबंधित विवाद, नुक्स, हकियत, स्वत्वदोष, सरकारी एवं गैर सरकारी ऋणभार अवलंघन से मुक्त पाक एवं साफ है एवं खाने सं0 5 की सम्पति पर किसी प्रकार का सम्पति संबंधित मुकदमा लंबित नहीं है एवं लेख्यकारिणी पक्ष ने विक्रय सम्पति से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज इस विक्रय पत्र के अलावे न लिखे है न भविष्य में लिखेंगे।

वफैल लेख्यकारिणी पक्ष के फलस्वरूप या पूर्व किसी प्रकार की क्षति खाने सं0 5 की सम्पति पर हक, हकुक, दखल – कब्जा के चलते यदि लेख्यधारीगण पक्ष को उठाना पड़े या लेख्यधारीगण पक्ष अपने क्रय खाने सं0 5 के सम्पति के आंशिक या पूर्णरूपेण दखल से बेदखल हो जायेंगे तब वैसी परिस्थिति में लेख्यकारिणी, उत्तराधिकारी लेख्यकारिणी एवं इनके द्वारा स्थानापन्न व्यक्ति यानि लेख्यकारिणी पक्ष के अन्यान्य, चला–चल, नामी–बेनामी एवं अन्य दीगर जायदाद से कानूनन न्यायालय द्वारा अदालती कानूनी कार्रवाई करके खाने सं0 5 की सम्पति के कुल मूल्य, खर्च वो समयानुसार क्षति की पूर्ति लेख्यधारीगण, उत्तराधिकारी लेख्यधारीगण एवं इनके द्वारा स्थानापन्न व्यक्ति यानि लेख्यधारीगण पक्ष करा लेवेंगे। इसमें लेख्यकारिणी पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति या विरोध न है न भविष्य में होगा एवं

सुश्री अर्चना देवी पा.. 08.11.2011

इस निर्विवाद विक्रय पत्र की महत्ता भविष्य में सदैव सत्य व सर्वमान्य समझी जायेगी।

इस वास्ते लेख्यकारिणी **श्रीमती उर्मिला देवी** खाने सं0 1 ने यह निर्विवाद विक्रय पत्र (केवाला वैयला कलामी) खाने सं0 5 की सम्पति को लेख्यधारीगण **श्रीमती सुनीला देवी** एवं **श्रीमती सरिता देवी** खाने सं. 2 के पक्ष में स्वेच्छा से पूर्ण होश वो हवाश में बिना किसी बाहरी दवाब वो प्रभाव के लिखकर निष्पादित कर दिये कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

तहरीर तारीख :–

गवाहों का हस्ताक्षर– 8/11/11

1. लखलु राय
पिता- श्री सुखेदार राय
ग्रा+पोस्ट- बिरपुर
थाना - जुड़ावनपुर
जिला - 2. वैशाली

उपेन्द्र प्रसाद
पिता - श्री सुखेदार राम
ग्राम+पोस्ट - बीरपुर
थाना - जुड़ावनपुर
जिला - वैशाली

सती उर्मिला देवी वा:
लखलु राय 08.11.2011
Form-60
लेख्यकारिणी का हस्ताक्षर

सुनीला देवी .8-11-2011
सरीता देवी Form-60
8-11-2011 Form-60
लेख्यधारीगण का हस्ताक्षर

टंकणकर्ता :–

Arun Kumar

(अरूण कुमार)
समाहरणालय, पटना।

लेख्यकारिणी कथनानुसार
प्रारूप तैयार किया:–

Dhiraj Kr. Singh
Adv.
Enrl. B.A. Patna
8/11/11

पटना

15

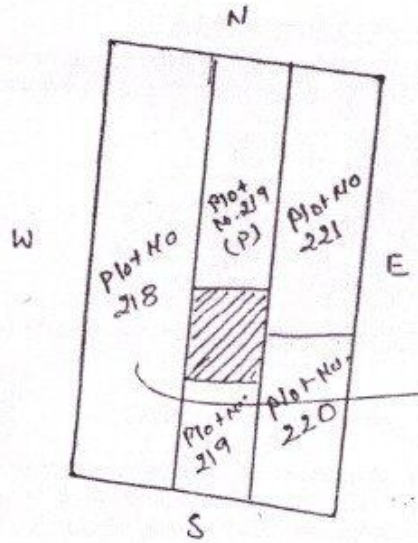
नजरी नक्सा

1) लेख्यकारिणी (विक्रेता) का नाम एवं पुरा पता :-
श्रीमती उर्मिला देवी पति श्री सुबेदार राय, निवासी ग्राम वो पोस्ट- वीरपुर, थाना - जुरावनपुर, जिला - वैशाली (बिहार), भारतीय नागरिक है।

2) लेख्यधारीगण (क्रेतागण) का नाम एवं पुरा पता :-
1. श्रीमती सुनीला देवी पति श्री अशरफी प्रसाद मण्डल, निवासी ग्राम- खरिका, पोस्ट वो थाना- सोनपुर, जिला- सारण,
2. श्रीमती सरिता देवी पति श्री सुबोध कुमार, निवासी - ए/402, देवा अपार्टमेन्ट शेखपुरा, थाना - शास्त्रीनगर, जिला - पटना (बिहार), भारतीय नागरिक है।

3. सम्पति का विवरण :-

मवाजी 1 कट्ठा (एक कट्ठा) यानि 3.125 डिसमिल एराजी परती आवासीय भूमि वाके मौजा - सादिकपुर मंगलम कॉलोनी, परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर विबंधन कार्यालय एवं जिला पटना जिसका थाना सं0 - 19 (उन्नीस), तौजी सं0 - 5291 (पाँच हजार दो सौ एकानवे), खाता सं0 - 79 (उनासी) एवं सर्वे प्लौट सं0 - 219 (दो सौ उन्नीस) का अंश,



सदी उर्मिला देवी वो
वाकिफ कार हाल 08.11.2

लेख्यकारिणी का हस्ताक्षर

सुनीला देवी 8-11-20

सरीता देवी

लेख्यधारीगण का हस्ताक्षर



Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 23. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 60100 *Amt. paid by N.J. Stamp Paper -* Rs. 5000
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 20000 *Amt. paid through Bank Challan -* Rs. 96429

			Registration Fee				LLR + Process Fee		Service Charge
FEE PAID	A1	20000 C	0 H1b	0 Ka1	0 Lii	0	LLR	500	
	A8	0 D	0 H2	0 K1b	0 Liii	0	Proc. Fee	50	
	A9	0 DD	0 I	150 K1c	0 Mb	25	Total-	550	
	A10	0 E	250 J1	0 K2	0 Na	54			
	B	0 H1a	0 J2	0 Li	0				
					TOTAL-	20479			

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 21329

Date : 08/11/2011

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office Patna on Tuesday, 08th November 2011 by Urmila Devi W/O-Shri Subedar Rai by profession House Wife, Status - Executant

सही उर्मिला देवी पत्नी
सुबेदार राय
08/11/11

Signature / L.T.I. of Presentant ***Date : 08/11/2011***

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the person (identified by Bablu Ray age ... Sex M son/daughter of S/O-Shri Subedar Rai resident of At-R/O-Add.-Vill+Po-Birpur, Ps-Jurawanpur, Dist.-Vaishali (Bihar).) whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 08/11/2011

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book No.1 Volume No. 457 on page no. 184 - 192 for the year 2011 and stored in CD Volume No.CD-70 year 2011. The document no. is printed on the front Page of the document.

Date : 08/11/2011

Registering Officer
Patna

Token No.32817 Year - 2011 Sl.No. 32251 SCORE Ver. 2.1 Deed No. 26455 NIC-Bihar

Serial No. - 21005

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on this Wednesday, the 14th of July 2010 by Sitaram Sao.

A stamp duty of Rs. 295780/- and other fees of Rs. 75299/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 18571 in Book No. 1, Volume No. 301 on pages from 464 to 471 and has been preserved in total 8 pages in C.D. No. 47 / Year 2010.

SCANNED

विनायक SCORE Ver- 2.0 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, बिहार

Signature with date
(Ajay Krishna Mishra)
Registering Officer, Patna

Date :14/07/2010 Token No. : 21995 / 2010

Absolute Sale Deed

1) लेख्यकारीगण का नाम एवं पुरा पता :–

1. श्री सीताराम साव (Sri Sitamram Sao) पिता स्व0 शिव गुलाम साव
2. श्रीमती चन्द्रमानो देवी (Smt. Chandramano Devi) पति श्री सीताराम साव
3. श्री दीनानाथ गुप्ता (Sri Dinanath Gupta)
 श्री रामनाथ गुप्ता (Sri Ramnath Gupta)

दीनानाथ श्री सीताराम साव, सभी निवासी ग्राम– छोटी रूकुनपुरा, थाना वाई अड्डा, पत्रालय – बिहार भेटनरी कॉलेज, जिला – पटना (बिहार), सभी भारतीय नागरिक है।

47

2) <u>लेख्यधारीगण का नाम एवं पुरा पता</u> :–

1. श्रीमती सरिता देवी (Smt. Sarita Devi) पति श्री सुबोध कुमार, निवासी– पीली कोठी, पुनाईचक, थाना– शास्त्रीनगर, जिला पटना,

2. श्रीमती सुनीला देवी (Smt. Sunila Devi) पति श्री असरफी प्रसाद मण्डल, निवासी ग्राम वो पोस्ट – खरीका, थाना – सोनपुर, जिला – छपरा (सारण), दोनों भारतीय नागरिक है।

3) <u>लेख्य प्रकार</u> :–

निर्विवाद विक्रय – पत्र (केवाला वैयला कलामी)

(Deed of Absolute Sale)

4) <u>लेख्य मूल्य</u> :–

मो0 36,96,000/– ~~(छत्तीस लाख छियान्वे हजार रूपये)~~ मात्र।

5) <u>विक्रय सम्पति का पूर्ण विवरण</u> :–

हमगी वो तमामी मवाजी 16 डिसमिल (सोलह डिसमिल) एराजी परती जमीन लायक सकना वाके मौजा – सादिकपुर मंगलम कॉलोनी, थाना – दानापुर, सब निबंधन कार्यालय दानापुर वो सदर निबधन कार्यालय वो जिला पटना जिसका थाना सं0 19 (उन्नीस), तौजी सं0 – 5291 (पाँच हजार दो सौ एकानवे), खाता सं0 76 (छिहत्तर) एवं सर्वे प्लौट सं0 221 (दो सौ इक्कीस) का अंश, वार्षिक लगान मो0 2 रूपया अलावे शेष बिहार सरकार अंचलाधिकारी अंचल कार्यालय दानापुर जिला पटना को अदाय है। जमाबन्दी रैयत सं0–101 एवं 230 है। चौहद्दी निम्नलिखित दर्ज है :– थाना कोड - 064



चौहद्दी (Boundary)

उत्तर – सहजानन्द सिंह प्लौट नं0–193

दक्षिण – जदु साव वो टुनटुन साव वो अर्जुन साव सर्वे प्लौट नं0 220

पूरब – जगत सिंह एवं मंगलम कॉलोनी

पश्चिम – अमर साव सर्वे प्लौट सं0 219

लेख्य सन्दर्भ (Recital)

हकियत यह है, कि इस वसीका के उपरोक्त खाने सं0 5 के सर्वे प्लौट सं0 221 की जमीन वो सम्पति को लेख्यकारीगण ने वजरिये दो किता वसीका केवाला वैयला कलामी पहला किता एराजी 8 डिसमिल मरकुमा तारीख 26.11.1969 ई0 को नविस्ते मोसमात सावित्री देवी जौजे स्व0 बाबु राम अधीन सिंह, निवासी ग्राम रूकुनपुरा, थाना दानापुर जिला पटना से लेख्यकारी नं0 1 ने खरीद किये है जिसका बुक सं0 – 1, जिल्द सं0 – 43, पृष्ट सं0 – 58 से 60, वसीका सं0 – 6550 वर्ष 1969 ई0 है एवं इस वसीका के उपरोक्त खाने सं0 5 के सर्वे प्लौट सं0 221 में एराजी 8 डिसमिल जमीन वो सम्पति को वजरिये वसीका केवाला वैयला कलामी (निर्विवाद विक्रय पत्र) मरकुमा तारीख 15.05.1972 ई0 को नविस्ते श्री रामबदन सिंह पिता नेतराम सिंह निवासी ग्राम रूकुनपुरा थाना दानापुर जिला पटना से लेख्यकारी नं0 2 ने खरीद किये है जिसका बुक सं0 – 1, जिल्द सं0 – 21, पृष्ट सं0 – 257 से 259, वसीका सं0 – 1790 वर्ष 1972 ई0 है। उक्त दोनों वसीका सब निबंधन कार्यालय दानापुर द्वारा निबंधित है। खरीदगी के तिथि से लेख्यकारीगण अपने क्रय खाने सं0 5 के सम्पति वो दीगर सम्पति के वहैसियत स्वामी वो अधिकारी बनकर अंचलाधिकारी अंचल कार्यालय दानापुर जिला पटना के यहाँ दाखिल खारिज (म्युटेशन) करवाकर वो वार्षिक लगान अदाय कर सम्पति का उपयोग वो उपभोग कर बिना किसी बाहरी दवाब वो प्रभाव के

आजीवन सुख वो शान्तिपूर्वक चले आ रहे है वो है। इस प्रकार लेख्यकारीगण का खाने सं0 5 की सम्पति पर का हक वो अधिकार का प्रमाण प्रमाणित होता है।

यह कि लेख्यकारीगण को खरीदने दीगर फायदेमन्द जायदाद एवं अन्य चन्द जरूरीयातों की पूर्ति के लिए रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है, बिना खाने सं0 5 की सम्पति को विक्रय किये रूपयों का इन्तजाम होना मुश्किल वो नामुमकिन है। इसलिए लेख्यकारीगण ने खाने सं0 5 की सम्पति को विक्रय करने के लिए लेख्यधारीगण के साथ–साथ अन्य से प्रचार एवं प्रचार किये एवं करवाये। अन्त में लेख्यधारीगण खाने सं0 2 ने खाने सं0 5 की सम्पति को मो0 36,96,000/– (छत्तीस लाख छियानवे हजार रूपये) मात्र में खरीदने के लिए तैयार हुए। समयानुसार उचित मूल्य पाकर एवं इससे ज्यादा कीमत नहीं मिलने की परिस्थिति में लेख्यकारीगण ने लेख्यधारीगण के साथ खाने सं0 5 की सम्पति को मो0 36,96,000/– (छत्तीस लाख छियानवे हजार रूपये) मात्र में विक्रय करने के लिए बातचीत पक्की कर दिये।

अतएव लेख्यकारीगण वहैसियत खाने सं0 5 की सम्पति के स्वामी वो अधिकारी बनकर एवं अपने–अपने तन–मन, सम्पूर्ण ज्ञान इन्द्रियों की स्वस्थतावस्था, शुद्वतावस्था एवं स्वच्छतावस्था में रहकर अपने–अपने हितैषियों, परिवारजनों कानूनी सलाहकारों से उचित परामर्श लेकर एवं विचार विमर्श कर अपने–अपने परिवारजनों के भविष्य एवं नफा नुकसान को बखुबी समझ बुझकर बिना किसी अन्य बाहरी अनुचित दवाब, प्रभाव, वहकाव, धमकाव एवं अड़चनों के लेख्यकारीगण खाने सं0 1 ने खाने सं0 5 की सम्पति को मो0 36,96,000/– (छत्तीस लाख छियानवे हजार रूपये) मात्र में लेख्यधारीगण खाने सं0 2 के पक्ष में विक्रय किये वो केवाला वैयला कलमी किये वो विक्रय पत्र का कुल कीमत लेख्यधारीगण से नगद

एवं चेक द्वारा इजमालन वसुल पाकर इस विक्रय पत्र का एकरार स्वीकार किये। इस प्रकार विक्रय सम्पति का कुल मूल्य वसुल वो बेवाक हो गया।

अब जितना भी आगम निगम हक वो अधिकार एवं स्वामित्व लेख्यकारीगण पक्ष को खाने सं0 5 की सम्पति पर प्राप्त था या है या भविष्य में होता वह कुल हक वो अधिकार समान रूपेण मूल्य का कुल रूपया चूकती होकर आज की तिथि से लेख्यधारीगण पक्ष को प्राप्त हुआ एवं भविष्य में होता रहेगा। अब लेख्यधारीगण वहैसियत क्रय खाने सं0 5 की सम्पति के स्वामिणी वो अधिकारिणी बनकर उक्त खाने सं0 5 की क्रय सम्पति पर निर्माण करे एवं अपने–अपने ~~इच्छानुसार व्यवहार में लाकर स्वतंत्र आचरण किया~~ करेंगे एवं जो चाहे सो करेंगे एवं अपना–अपना नाम इस विक्रय पत्र के द्वारा सरकारी मकहमे वो सिरिस्ते में नामांकित करा लेवेंगे।

लेख्यकारीगण पक्ष ने लेख्यधारीगण पक्ष को यह विश्वास दिलाये एवं यकीन कराये है, कि खाने सं0 5 की सम्पति हर प्रकार के सम्पति संबंधित विवाद, नुंक्स, हकियत, स्वत्वदोष, सरकारी एवं गैर सरकारी ~~ऋणभार अवलंघन से मुक्त पाक एवं साफ~~ है एवं खाने सं0 5 की सम्पति पर किसी प्रकार का सम्पति संबंधित मुकदमा लंबित नहीं है एवं लेख्यकारीगण पक्ष ने विक्रय सम्पति से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज इस विक्रय पत्र के अलावे न लिखे है न भविष्य में लिखेंगे।

वफैल लेख्यकारीगण पक्ष के फलस्वरूप या पूर्व किसी प्रकार की क्षति खाने सं0 5 की सम्पति पर हक, हकुक, दखल – कब्जा के चलते यदि लेख्यधारीगण पक्ष को उठाना पड़े या लेख्यधारीगण पक्ष अपने क्रय खाने सं0 5 के सम्पति के आंशिक या पूर्णरूपेण दखल से बेदखल हो जायेंगे तब वैसी परिस्थिति में लेख्यकारीगण, उत्तराधिकारी लेख्यकारीगण एवं इनके द्वारा स्थानापन्न व्यक्ति यानि लेख्यकारीगण पक्ष के अन्यान्य चला–चल, नामी–बेनामी एवं अन्य दीगर जायदाद से

कानूनन न्यायालय द्वारा अदालती कानूनी कार्रवाई करके खाने सं0 5 की सम्पति के कुल मूल्य, खर्च वो समयानुसार क्षति की पूर्ति लेख्यधारीगण, उत्तराधिकारी लेख्यधारीगण एवं इनके द्वारा स्थानापन्न व्यक्ति यानि लेख्यधारीगण पक्ष करा लेवेंगे। इसमें लेख्यकारीगण पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति या विरोध न हैं न भविष्य में होगा एवं इस निर्विवाद विक्रय पत्र की महत्ता भविष्य में सदैव सत्य व सर्वमान्य समझी जायेगी।

इस वास्ते लेख्यकारीगण खाने सं0 1 ने यह निर्विवाद विक्रय पत्र (केवाला वैयला कलामी) खाने सं0 5 की सम्पति को लेख्यधारीगण खाने सं. 2 के पक्ष में स्वेच्छा से पूर्ण होश वो हवाश में बिना किसी बाहरी दवाब वो प्रभाव के लिखकर निष्पादित कर दिये कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

तहरीर तारीख :–

साक्षीगण का हस्ताक्षर–

1.

2.

टंकणकर्ता :–

(अरूण कुमार)
समाहरणालय, पटना।

लेख्यकारीगण का हस्ताक्षर

PAN-

लेख्यधारीगण का हस्ताक्षर

फार्म 60 संलग्न है।

फार्म 60 संलग्न है।

लेख्यकारीगण कथनानुसार
प्रारूप तैयार किया:–

Dhiraj Kumar Singh
Adv.
C.R.A, Patna
14/7/10

52

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 23. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 221860 *Amt. paid by N.J. Stamp Paper -* Rs. 0

Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 73920 *Amt. paid through Bank Challan -* Rs. 371079

FEE PAID			Registration Fee					LLR + Process Fee		Service Charge
	A1	73920 C	0 H1b	0 Ka1	0 Lii	0	LLR	500		
	A8	0 D	0 H2	0 K1b	0 Liii	0	Proc. Fee	50		350
	A9	0 DD	0 I	150 K1c	0 Mb	25	Total-	550		
	A10	0 E	250 J1	0 K2	0 Na	54				
	B	0 H1a	0 J2	0 Li	0					
					TOTAL-	74399				

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 75299

Date : 14/07/2010

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Wednesday, 14th July 2010 by Sitaram Sao S/O Late Shiv Gulam Sao by profession Others. Status - Executant

Signature / L.T.I. of Presentant *Date : 14/07/2010*

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the person (identified by Lalbabu Ray age Sex M son/daughter of Ram Lakhan Ray resident of Mahuabagh,Danapur,Patna.) whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 14/07/2010

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book No. 1 Volume No. 301 on page no. 464 - 471 for the year 2010 and stored in CD Volume No.CD-47 year 2010. The document no. is printed on the front Page of the document.

Date : 14/07/2010

Registering Officer
Patna

Token No.21995 Year - 2010 Sl.No. 21683 SCORE Ver. 2.1 Deed No. 18571 NIC-Bihar